# कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक/विधि एवं न्याय/2020/ 13160 दिनांक: 21 .08.2020

–::आदेश::–

अनलॉक–3 (01 अगस्त से 31 अगस्त 2020) के क्रियान्वयन आदेश दिनांक 31.07.2020 के बिन्दु संख्या B:- 1-V के अनुसार सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।

दिनांक 22.08.2020 को गणेश चतुर्थी पर्व पर बड़ी संख्या में जन समूह का एक ही स्थान पर एकत्रित होकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किये जाने की संभावना है। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना है।

अतः समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इंसीडेंट कमाण्डर) एवं तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से अपने–अपने उपखण्ड क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलो पर गणेश प्रतिमाओ का विसर्जन करने एवं जन समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाकर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल/एडवाईजरी/दिशा–निर्देश/आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(हिमांशु गुप्ता) 21/08

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

जालोर

जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक/विधि एवं न्याय/2020/ 13161 - 13204 दिनांक: 21 .08.2020

प्रतिलिपि: आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार,, समस्त।
3. उप पुलिस अधीक्षक जालोर/भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा।
4. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार–प्रसार हेतु ।
5. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. थाना अधिकारी, पुलिस थाना......................... ।
7. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।

21/8/20

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जालोर

जिला मजिस्ट्रेट जालोर